

(क) नगर पालिका परिषद् उन्नाव सीमान्तर्गत स्थित समस्त 32 वार्डों में स्वकर प्रक्रिया के तहत आवासीय/अनावासीय भवन स्वामियों द्वारा हाउस टैक्स एवं जलकर टैक्स बढ़ोत्तरी के संबंध में 3553 आपत्ति प्रार्थना पत्र नगर पालिका परिषद् उन्नाव के कर विभाग में प्राप्त हुए हैं।

(ख) नगर पालिका परिषद् उन्नाव में विकलांगता के आधार पर हाउस टैक्स एवं जलकर टैक्स की बढ़ोत्तरी के कर से मुक्त करने हेतु 02 आपत्तियां प्राप्त हुयी हैं। शासनादेश संख्या-622/नौ-9-2011 -182ज/04 दिनांक 09-04-2012 के अनुपालन में विकलांगता के आधार पर उक्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए हाउस टैक्स एवं जलकर में छूट प्रदान की जा चुकी है। नगर पालिका अधिनियम में गरीबी रेखा के आधार पर करमुक्त किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

(ग) उपरोक्तानुसार।

ए०के० शर्मा,
मंत्री,
नगर विकास विभाग।